

सरवती / शोभन सिंह - 24/2015  
24/15

दिनांक	आज्ञा पत्र
8/10/15	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.11.15 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।
25.11.15	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... 26 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9/12/15 को पेश हो।
9/12/15	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 22.12.15 को पेश हो।
27.1.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.1.25 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।
8.1.25	पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व बंशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दायित्व दफनर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एव  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)